CSSO Supervisal
1905
20/7/92
35
4

(Authoritative English text of H.P. Government Notification No. Health-A(3)4/77, dated 25.7.1992 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Health & Family Welfare.

No. Health-A(3)-4/77, Dated Shimla-2, the 25-7/ 1992

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Central Sterlisation Supply Supervisor, Class-III (Non Gazetted) in the Health & Family Welfare Department, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification; namely:-

Short title and commencement.

1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Health & Family Welfare Department, Class-III, (Non -Gazetted) (Central Sterlisation Supply Supervisor) Recruitment & Promotion Rules, 1991.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Financial Commissioner-cum-Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Health-A(3)4/77, dated Shimla-2, the 25.7.1 1991.

Copy forwarded to:-

1. The Deputy Controller, Printing & Stationery, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
2. The Director of Health Services/Director-Principal, I.G.M.C. Shimla-1 with 10 spare copies.
3. Finance Department (c) Himachal Pradesh, Secretariat; Shimla-2.
4. Dy. Secretary (GAD) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
5. Assistant Draftsman (Language) H.P. Shimla-2.
6. Guard file - 100 copies.

22.7.92

Joint Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh.

UITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CENTRAL
LISATION SUPPLY SUPERVISOR (CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF
TH & FAMILY WELFARE IN THE H.P. GOVERNMENT.

ame of the Post:	Central Sterlisation Supply Supervisor.
umber of Post	1 (ONE)
lassification:	Class-III (Non-Gazetted).
cale of pay:	Rs. 1640-40-2000-50-2400-60-2700-75-2925.
hether selection or on-Selection Post:	Non-Selection.
ge for direct recruit-ent.	Not applicable.
inimum educational & ther qualifications equired for direct ecruitment.	Essential : Not applicable. Desirable qualification: Not applicable.
hether age and ducational qualification rescribed for direct ecruits will apply in the ase of promotees.	Age:- Not-Applicable. E.Q. - Not-Applicable.
riod of probation, if ny:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
ethod of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion.

..... 2/-

2

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Central Sterlisation supply Technicians/Operation Theatre Asstts. with at least 5 years regular or regular combined with continous adhoc (rendered upto 31.3.1991, if any) service as such. For purpose of promotion, a Combined seniority list of Central Sterlisation Supply Technicians/Operations Theatre Asstss. will be prepared based on length of service inter-se-seniority not to be disturbed as far as possible.

NOTE(1) In all cases of promotion, adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

(a) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including adhoc service rendered upto 31.3.91 in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category of post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration,

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him, shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-

The last proviso shall not render the Junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited.

..... 3/-

nder the provisions of Rule -3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies n the Himachal Pradesh technical services) Rules, 1985 and having been iven the benefit of Seniority thereunder.

b) Similarly, in all cases of confirmation, ad-hoc service rendered n the Feeder post upto 31-3-1991, if any prior to the regular ppointment against such post shall be taken into account towards he length of service.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after aking into account ad-hoc service rendered upto 31-3-1991 shall emain unchanged.

NOTE: Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.

2.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Government from time to time.
3.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
4.	Essential requirement for a direct recruitment	Not Applicable.
5.	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not Applicable.
6.	Reservation:	The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes/ other categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time
17.	Power to relax.	Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग

संख्या:स्वा-क(3)4/77, तारीख शिमला-2, 25-7/1991

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक वर्ग(।।।) (अराजपत्रित) पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध"अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक सप्लाई सुपरवाईजर (वर्ग-।।।) (अराजपत्रित) पद भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1991 है ।

(।।) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा

वित्तायुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या:स्वा-क(3)4/77 तारीख शिमला-2, 25-7/1991

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशनार्थ हेतु ।
2. निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक-प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-1-10 प्रतियाँ सहित ।
3. वित्त (विनियम) विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
4. उप-सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. सहायक विधाई प्रारूपकार (राजभाषा) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
6. गार्ड फाईल . 100 प्रतियां ।

22.7.92

संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

§उपाबन्ध-"अ"§

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक के लिये भर्ती एवम् पदोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय पर्यवेक्षक
2.	पदों की संख्या:	एक §1§
3.	वर्गीकरण:	वर्ग-III §अराजपत्रित§
4.	वेतनमान:	रुपये 1640-40-2000-40-2400-60-2700-75-2925.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद:	अचयन ।
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	- लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हतायें:	अनिवार्य:- लागू नहीं वांछनीय अर्हता:- लागू नहीं ।
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु:- लागू नहीं शैक्षिक अर्हतायें:- लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका विस्तार एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।	केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय तकनीशियन/शल्य कक्ष सहायकों में से जिनका ग्रेड में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विसंक्रमण प्रदाय तकनीशियन/शल्य कक्ष सहायकों की, ग्रेड में नियुक्ति की तारीख के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता को जहां तक सम्भव हो परिवर्तित किये बिना, संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

टिप्पण:- 1 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी:-

§क§ उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल जिसमें §31.3.91§ तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके§के आधार पर उपरान्त निर्दिष्ट उपाबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे अपने-अपने पद/केडर में वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे,

....2/-

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए,

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण:-

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल-स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज-1972 के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अधीन वरियता लाभ दिये गये हों या जिसके एक्स-सर्विसमैन (रिज़र्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी ।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी ।

<u>टिप्पण:2.</u> जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जायेंगे ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विद्यमान हो तो उसकी संरचना की जाये।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। — जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा । — लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिये चयन — लागू नहीं ।

16. आरक्षण:- — इस सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों/अन्य अधिसूचित व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति: — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वह कारणों को अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों में या किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

....